

[2024] 4 एस.सी.आर. 598: 2024 आईएनएससी 315

मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

सतीश जैन (मृत) विधिक प्रतिनिधि और अन्य द्वारा।

(सिविल अपील संख्या 6884/2012)

18 अप्रैल 2024

[न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन]

विचारणीय बिंदु

विचारणीय प्रश्न यह उठा कि जब एकपक्षीय डिक्री के आधार पर कोई समझौता होता है, और एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाता है, तो क्या पक्षकार समझौते पर भरोसा कर सकते हैं।

शीर्ष टिप्पणियां

वाद - एकपक्षीय डिक्री - एकपक्षीय डिक्री पर आधारित समझौता एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किये जाने के बाद, क्या पक्षकार समझौते पर भरोसा कर सकते हैं - वाद की संपत्ति राज्य के स्वामित्व में है, यद्यपि , प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिकूल कब्जे से अपने अधिकारों को पूर्ण किया और अपने सभी अधिकारों को वादी के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया और कब्जा भी सौंप दिया- प्रतिवादी संख्या 1 कथित तौर पर तीसरे पक्ष के पक्ष में उक्त भूमि को फिर से स्थानांतरित करने की संभावना है और राज्य के कुछ अधिकारियों ने वादी द्वारा वाद की भूमि पर लगाई गई बाड़ को हटाने की कोशिश की -वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और राज्य के खिलाफ घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए वाद में एकपक्षीय निर्णय दिया गया- अपीलीय न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया। वाद ट्रायल कोर्ट में लंबित है - इस बीच राज्य, नगर निगम और वादी के बीच समझौता हुआ कि वादी मामले की जमीन खाली कर देगा, जिससे निगम को अलग-अलग भूखंडों के बदले बस स्टैंड बनाने की अनुमति मिली। - भूखंड आवंटित किए गए, लेकिन बाद में कुछ भूखंड रद्द कर दिए गए - तत्पश्चात मध्यस्थ निर्णय पारित हुआ,

जिसके तहत वादी निगम को निर्धारित राशि का भुगतान करेगा और बदले में निगम भूमि आवंटन के अपने दायित्व को पूरा करेगा। राज्य द्वारा निर्णय पर आपत्ति, ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वीकृत - वादी द्वारा दायर पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया

अवधारित : एकपक्षीय निर्णय को रद्द कर दिया गया है, इसलिए वादी के लिए समझौते पर आगे कार्रवाई करने का कोई अवसर नहीं है क्योंकि पक्षों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था - उस समझौते का आधार वादी के पक्ष में घोषणा और निषेधाज्ञा का एकपक्षीय निर्णय था - जब एकपक्षीय निर्णय को स्वयं ही रद्द कर दिया गया और वाद राज्य द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के चरण से आगे बढ़ना था, यह मानते हुए कि समझौता करने के किसी भी अधिकार का कोई आभास था, समझौता अपनी सारी विश्वसनीयता खो देगा- कानून की नजर में समझौते की कोई पवित्रता नहीं होगी, यहां तक कि परस्पर पक्षों के लिए भी नहीं - एकपक्षीय निर्णय के तहत वादी में सृजित अधिकार समाप्त हो गए और इस प्रकार, निगम को उक्त समझौते पर आगे कोई भरोसा न करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए थी - निगम द्वारा धारा 89 सीपीसी के तहत दायर आवेदन भी समझौते के आधार पर स्वीकार्य नहीं था- ऐसा प्रतीत होता है कि निगम और वादी के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत थी। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए समझौते में कोई शर्त थी या नहीं, समझौता करने का मूल आधार ही रद्द कर दिया गया था, इसलिए किसी भी पक्ष द्वारा समझौते पर भरोसा नहीं किया जा सकता था - वाद भूमि माना कि यह राज्य के स्वामित्व में था, भले ही राज्य ने इसे बस स्टैंड बनाने के लिए निगम को आवंटित किया हो, निगम इसके साथ व्यवहार नहीं कर सकता था और इसे वादी के स्वामित्व या कब्जे में नहीं मान सकता था, समझौता करके - निगम राज्य के आबंटिती के रूप में उक्त भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करने के लिए बाध्य होगा जिसके लिए इसे दिया गया था, इसे वादी के कब्जे को हटाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए थे, इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट ने पंचाट को रद्द करके आवेदन को स्वीकार करने में उचित ठहराया - उच्च न्यायालय ने सुसंगत पहलुओं पर विचार नहीं करने और राज्य द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान पर भरोसा करने में गलती की कि राज्य का कोई हित नहीं था क्योंकि उसने बस स्टैंड स्थापित करने के लिए निगम को भूमि आवंटित की थी- उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपत्तिजनक आदेश को रद्द किया जाता है।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908।

कीवर्ड की सूची

वाद; एकपक्षीय डिक्ली; समझौता; प्रतिकूल कब्जा; घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए वाद; मध्यस्थता पुरस्कार; मध्यस्थ की नियुक्ति।

किससे उद्धृत मामला

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मामला: सिविल अपील संख्या 6884/2012

सिविल रिवीजन संख्या 201/2005 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के दिनांक 14.11.2005 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की उपस्थिति

सौरभ मिश्रा, ए.ए.जी., सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, अभिनव श्रीवास्तव, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।
पुनीत जानी, सुश्री क्रिस्टी जैन, मान अरोड़ा, सुश्री आकृति शर्मा, लिशा भाटी, सुश्री प्रतिभा जैन, अश्वनी कुमार, संजय के. अग्रवाल, सार्थक नेमा, सुश्री अंकिता खरे, यशोवर्धन जैन, रामसखा कुशवाह, अधिवक्ता प्रतिवादियों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

1. अपीलकर्ता-मध्य प्रदेश राज्य 1-प्रतिवादी, सतीश जैन (प्रतिवादी सं.1) द्वारा दायर मूल मुकदमे में, जो अब मर चुका है, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2005 को पारित किए गए निर्णय और आदेश की सत्यता पर आपत्ति जताते हुए अपील में है, जिसमें सिविल पुनरीक्षण 1 को अनुमति दी गई है, जिसे आगे "राज्य-अपीलकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा सिविल अपील संख्या 6884/2012 2 सं. 201/2005, जिसका शीर्षक "सतीश जैन बनाम रामा एवं अन्य" है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.12.2004 के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, और आगे ट्रायल कोर्ट को मध्यस्थ के पंचाट को लागू करने के लिए कानून के

अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। इसने अपीलकर्ता की दिनांक 09.11.2004 की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया, और इसके अलावा मध्यस्थ की रिपोर्ट को खारिज करने वाले आदेश को भी अपास्त कर दिया गया। इसके पैराग्राफ 27 में निहित विवादित आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"27. इसलिए, पुनरीक्षण के तहत आदेश को अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर दिनांक 09.11.2004 की आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है। मध्यस्थ की रिपोर्ट को खारिज करने वाले आदेश को भी अपास्त किया जाता है। ट्रायल कोर्ट पंचाट को लागू करने के लिए कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।"

2. वर्तमान अपील दायर करने के लिए सुसंगत तथ्य संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

(i). सतीश जैन पुत्र दयानंद जैन ने एक सिविल मुकदमा दायर किया जिसमें रमा पुत्र परसराम को प्रतिवादी संख्या 1 और कलेक्टर, भोपाल के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में शामिल करते हुए घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और आज्ञापक निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए प्रार्थना की गई। इसे सी.एस. संख्या 65 ए/1990 के रूप में पंजीकृत किया गया था। दावे का आधार यह था कि विवादित संपत्ति खसरा संख्या 48 और 49 क्षेत्रफल 3.53 एकड़ ग्राम हलालपुर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है और इसका स्वामित्व मध्य प्रदेश राज्य के पास है। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 1 पिछले 50-60 वर्षों से मुकदमे की भूमि पर निरंतर और शांतिपूर्ण प्रतिकूल कब्जे का आनंद ले रहा था और इस तरह उसने प्रतिकूल कब्जे से अपने अधिकारों को पूर्ण कर लिया था और भूमि का मालिक बन गया था।

(ii). यह भी आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में मुकदमे की भूमि पर अपने सभी अधिकार, शीर्षक और हित हस्तांतरित कर दिए हैं और 05.09.1988 को मुकदमे की भूमि का कब्जा भी सौंप दिया है।

(iii). इसके बाद वादी ने 06.09.1988 को तारबंदी कर दी थी और मुकदमे की भूमि पर कब्जा कर रहा था।

(iv). शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि को फिर से तीसरे पक्ष के पक्ष में हस्तांतरित करने की संभावना थी और उसे यह भी पता चला कि राज्य के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों (प्रतिवादी संख्या 2) ने मुकदमे की भूमि का दौरा किया था और बाड़ हटाने की

कोशिश की थी। ऐसी परिस्थितियों में, वादी को घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

(v). वादी के अनुसार, वाद का कारण 07.10.1988 को उत्पन्न हुआ, तथा पुनः 11.10.1988 को तब उत्पन्न हुआ, जब राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बाड़ हटाने का प्रयास किया।

(vi) विचारण न्यायालय ने 22.06.1990 के निर्णय एवं आदेश द्वारा वाद को एकपक्षीय रूप से निस्तारित किया।

(vii) राज्य ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की, जिसे चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल द्वारा मात्र 8 दिन के विलम्ब के आधार पर खारिज कर दिया गया।

(viii) राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 300/2002 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2003 के आदेश द्वारा स्वीकृत किया गया। इसने अपीलीय न्यायालय के दिनांक 11.05.1991 के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसने विलंब की माफी के लिए आवेदन की अनुमति देने के बाद 8 दिनों की देरी को भी माफ कर दिया, और आगे अपीलीय न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर पक्षों की सुनवाई करने और कानून के अनुसार अपील का फैसला करने का निर्देश दिया।

(ix). दिनांक 09.01.2004 के आदेश द्वारा उक्त अपील स्वीकार की गई तथा राज्य को लिखित कथन दाखिल करने के लिए उचित समय प्रदान करने के पश्चात मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा गया। उक्त वाद अभी भी ट्रायल कोर्ट में लंबित है।

(x). यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि राज्य ने अपीलीय न्यायालय द्वारा वापस भेजे जाने के पश्चात अपना लिखित कथन दाखिल किया है।

(xi). इस बीच, ऐसा प्रतीत होता है कि वाद वाली भूमि भोपाल नगर निगम को बस स्टैंड बनाने के लिए आवंटित की गई थी। बीएमसी और वादी के बीच दिनांक 30.07.1991 को एक समझौता हुआ था कि वादी वाद वाली भूमि खाली कर देगा, जिससे बीएमसी को बस स्टैंड बनाने की अनुमति मिल जाएगी तथा इसके बदले में वादी को अलग से भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

(xii). यह भी आरोप लगाया गया है कि बीएमसी द्वारा वादी के पक्ष में कुछ आवंटन किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया।

(xiii) रिमांड के बाद, राज्य द्वारा लिखित बयान दायर किया गया था। इसके अलावा, बीएमसी को 13.03.2004 के ट्रायल कोर्ट के आदेश द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 के रूप में शामिल किया गया था।

(xiv) अपीलकर्ता ने आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत और आदेश VI नियम 17 सीपीसी के तहत 17.08.2004 को एक आवेदन दायर किया।

(xv) इसके अलावा बीएमसी ने सीपीसी की धारा 89 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि 30.07.1991 के समझौते के तहत वादी को रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए। आवंटित भूमि के मूल्य के विरुद्ध 30,00,000/- (केवल तीस लाख रुपये) का भुगतान करने का अनुरोध किया। आगे कहा गया कि यदि पूरी राशि जमा कर दी जाती है, तो बीएमसी अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसलिए इसने प्रार्थना की कि पार्टियों को धारा 89 सीपीसी के तहत विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थ/मध्यस्थ के पास भेजा जाए। यह आवेदन दिनांक 27.08.2004 का है।

(xvi) ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 17.09.2004 के आदेश द्वारा मामले को श्री हेमंत कुमार को संदर्भित किया। उक्त मध्यस्थ/मध्यस्थ ने 14.10.2004 को सिविल अपील संख्या 6884/2012 के 9 महीने से भी कम समय में एक पंचाट /रिपोर्ट दी। संक्षेप में, उक्त पुरस्कार इस आशय का था कि वादी बीएमसी को 30,00,000/- रुपये और निर्धारित पट्टा किराया देगा और बदले में बीएमसी 30.07.1991 के समझौते के अनुसार भूमि आवंटन के अपने दायित्व को पूरा करेगी।

(xvii) अपीलकर्ता-मध्य प्रदेश राज्य ने दिनांक 09.11.2004 को मध्यस्थ के दिनांक 14.10.2004 के निर्णय पर आपत्तियाँ दायर कीं, तथा विभिन्न आधारों पर उसे निरस्त करने का अनुरोध किया। आपत्तियों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भूमि का स्वामित्व अभी भी मध्य प्रदेश राज्य के पास है तथा राज्य की लिखित सहमति या अनुमोदन के बिना बीएमसी को ऐसी भूमि से निपटने का कोई अधिकार या व्यवसाय नहीं है।

(xviii) ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 09.11.2004 को राज्य के आवेदन पर आपत्तियाँ आमंत्रित करने के पश्चात दिनांक 22.12.2004 के आदेश द्वारा उसे स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर वादी ने सिविल पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे बाद में आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिससे वर्तमान अपील की शुरुआत हुई।

3. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

4. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मुकदमा अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित है। वादी को आज तक इस तरह की कोई घोषणा नहीं दी गई है। एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किये जाने के बाद, वादी के लिए 30.07.1991 के समझौते पर आगे कार्रवाई करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि पक्षों को कोई

अधिकार नहीं मिला था। उस समझौते का आधार वादी के पक्ष में घोषणा और निषेधाज्ञा की एकपक्षीय डिक्री थी। एक बार जब एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कर दिया गया और मुकदमा अपीलकर्ता-राज्य द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के चरण से आगे बढ़ना था, तो 30.07.1991 का समझौता अपनी सारी विश्वसनीयता खो देगा, यह मानते हुए कि समझौता करने का कोई अधिकार था। धारा 89 सीपीसी के तहत बीएमसी द्वारा दायर आवेदन भी 30.07.1991 के समझौते के आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि बीएमसी और वादी के बीच किसी तरह की मिलीभगत है। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 30.07.1991 के समझौते में कोई शर्त थी या नहीं, समझौते में प्रवेश करने का आधार अपास्त कर दिया गया है, समझौते पर किसी भी पक्ष द्वारा भरोसा नहीं किया जा सकता था।

5. वाद भूमि पर वास्तव में अपीलकर्ता-राज्य का स्वामित्व था। भले ही राज्य ने इसे बस स्टैंड बनाने के लिए बीएमसी को आवंटित किया हो, बीएमसी 30.07.1991 को समझौता करके इसे वादी के स्वामित्व या कब्जे में नहीं मान सकती थी। बीएमसी राज्य के आवंटि के रूप में उक्त भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करने के लिए बाध्य होगी जिसके लिए इसे दिया गया था। उसे वादी के कब्जे को हटाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए थे जो कानून के तहत पूरी तरह से अनधिकृत और अवैध था।

6. 30.07.1991 के समझौते के अवलोकन से स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि वादी 22.06.1990 के एकपक्षीय निर्णय और 11.05.1991 को प्रथम अपील के खारिज होने के तहत अधिकार का दावा कर रहा था। बाद में जब दोनों आदेशों को रद्द कर दिया गया और मुकदमा अपीलकर्ता-राज्य द्वारा अपना लिखित बयान दाखिल करने के चरण से आगे बढ़ना था, तो कानून की नज़र में समझौते की कोई पवित्रता नहीं होगी, यहाँ तक कि परस्पर पक्षकारों की नज़र में भी। एकपक्षीय निर्णय के तहत वादी में बनाया गया अधिकार समाप्त हो गया और इसलिए, बीएमसी को उक्त समझौते पर आगे कोई भरोसा न करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए थी। ट्रायल कोर्ट ने पंचाट को रद्द करके आवेदन की अनुमति देने में उचित ठहराया था। उच्च न्यायालय ने सुसंगत पहलुओं पर विचार न करके और अपीलकर्ता-राज्य द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिए गए इस कथन पर भरोसा करके गंभीर गलती की कि राज्य का इस बात में कोई हित नहीं है कि उसने बस स्टैंड स्थापित करने के लिए बीएमसी को भूमि आवंटित की थी और इसलिए उसे प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकारों की सूची से हटा दिया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, सभी आवेदन अभी भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित हैं, यदि राज्य द्वारा उनका निपटारा या वापस नहीं लिया गया है।

7. उपर्युक्त के मद्देनजर, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।

8. ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाएगा और उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगा।
9. खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
10. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ: निधि जैन द्वारा

प्रकरण का परिणाम: अपील स्वीकृत

1 जिसे इसके बाद "राज्य-अपीलकर्ता" के रूप में संदर्भित किया गया है

ज्योति शर्मा द्वारा अनुवादित